

**बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग ।**

**प्रोग्राम:-** श्री सुशील माता,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

**बंध दें,**

शुभ सचिव,  
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक जनवरी, ७५ ।

**विषय:-** के० ए० हस्ताभिया कॉलेज, सीवान को वल्य संत्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालय घोषित करने के संबंध में ।

**प्राश्य,** निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर वाफे पत्रांक -बी।२४० दिनांक-  
५-१-६५ के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार ने के० ए० हस्ताभिया कॉलेज  
सीवान को निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के साथ वल्य संत्यक वर्ग द्वारा स्थापित  
एवं प्रशासित महाविद्यालय घोषित करने की कृपा की है :-

यद्यपि ऐसी संध्या का उद्देश्य मुख्यतः वल्य वर्ग की मांगों एवं संस्कृति का विकास हो, किन्तु महाविद्यालय में प्रवेश सभी वर्ग के छात्रों के लिये तुल्य रहेगा और साथ ही परिनिचय के अनुसार जितने स्थान सामान्य रूप से महाविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये सुरक्षित हैं, उतने स्थान ऐसे छात्रों के लिये वल्य संत्यक महाविद्यालय में भी सुरक्षित रहेंगे ।

विश्वास मानक

ह० : सुशील माता:

सरकार के संयुक्त सचिव

**आपके ११०:** पटना, दिनांक १४ जनवरी ७५ ।

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना । प्रमानाचार्य,

के० ए० हस्ताभिया कॉलेज, सीवान एवं प्रशासक - के० शिक्षा विभाग को  
सुभाष भण्डारित ।

*Principal*  
Z.A. Islamia College  
Siwan

ह० सुशील माता  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

*Attested*  
*Principal*  
*26/1/75*